राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांक :प.4(9)वित्त/साविलेनि/2026 जयपुर, दिनांकः 23.03.2026.

परिपत्र

विषय :– SHPP पर Rate Justification Upload करने के संबंध में।

वर्तमान में निर्माण कार्यों के लिए जारी की जाने वाली निविदाओं हेतु उपापन संस्थाओं द्वारा दर औचित्यता (Rate Justification) तैयार कर बंद लिफाफे में रखा जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक खरीद प्रणाली में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) विकसित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्यों (Works) की निविदाओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली के साथ–साथ खुली निविदाओं हेतु दर औचित्यता विवरण–पत्र को भी अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे SHPP पोर्टल पर खुली निविदा हेतु प्रावधान उपलब्ध होने के पश्चात तकनीकी बिड खुलने से पूर्व आवश्यक रूप से दर औचित्यता विवरण–पत्र तैयार कर SHPP पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह दर औचित्यता **(Rate Justification)** विवरण–पत्र निविदा की वित्तीय बोली खोले जाने के उपरान्त केवल उपापन संस्था हेतु Visible होगा।

23/03/26

(राजेन्द्र विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) 302005
Phone : 0141-2227921 website : www.finance.rajasthan.gov.in e-mail : jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-Circular w.e.f. 04.05.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, वित्त (बजट) राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 1, 2, 3, 4 एवं 5) विभाग।
8. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
11. कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी समस्त ।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, सचिवालय, जयपुर।
13. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी) एन.आई.सी. (ट्रेजरी) वित्त भवन, जयपुर।
14. तकनीकी निदेशक (आई.टी.), एनआईसी (वॉम) वित्त भवन, जयपुर।
15. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
16. मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (एसपीएफसी) विभाग को भेजकर लेख है कि SHHP पोर्टल पर उपरोक्तानुसार प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR-115/2026)